

#1185

सहायक उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर कपासन जिला - निरौडागढ (राज)

पीठासीन अधिकारी, शांतीप सेवा शिबिर 2025 कैम्प स्थल - कलक्टर कपासन

शांतीप सेवा शिबिर-2025

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 351/25 दायर दिनांक 27/9/25 निर्णय दिनांक 27/9/25

क्र.सं.	नाम	उपनि	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	<u>उत्तम</u>	<u>95</u>	<p>महोदय जी निवेदन है कि मुलाविक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर</p>	<p>तहसालीदर कपासन की अनुशंया स्वीकार की जाकर राज. भू.श. अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>कलक्टर कपासन</u> प.ह. <u>कलक्टर कपासन</u> खतासं. <u>95</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पदवीसी</p> <p>हस्ताक्षर प्रिण्टिंग</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

पटवारी कपासन जिला निरौडागढ

1. पटवारी पटवारी कपासन को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार कपासन (उपखण्ड अधिकारी) निरौडागढ

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन